

26/11/16

(सामाजिक सुरक्षा काषांग)

प्रेस विज्ञप्ति

सामाजिक सुरक्षा योजनान्तर्गत छः प्रकार का योजना अर्थात् लक्ष्मीबाई पेंशन योजना, बिहार निःशक्तता पेंशन योजना, राज्य सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजना, इंदिरा गांधी राष्ट्रीय वृद्धावस्था पेंशन, इंदिरा गांधी राष्ट्रीय विधवा पेंशन योजना एवं इंदिरा गांधी राष्ट्रीय निःशक्तता पेंशन योजना में आवंटन नहीं रहने के कारण मार्च, 2016 से पेंशन की राशि लंबित थी। विभाग के निदेशानुसार अप्रैल, 2016 से पेंशन का भुगतान ई-लाभार्थी योजना के तहत पेंशनधारियों के खाता में दिया जाना है, जबकि इस जिला में अगस्त, 2015 से ही पेंशनधारियों के खाता में आर0टी0जी0एस0 के माध्यम से पेंशन की राशि दी जा रही है। इस आलोक में विभाग द्वारा कुल आवंटन 14,54,34,100/- रु0 उपलब्ध कराये जाने के पश्चात् इस जिलान्तर्गत 52,131 पेंशनधारियों के खाते में 14,54,34,100/- रु0 राशि उपलब्ध करा दी गयी है। यह राशि मार्च, 2016 से सितम्बर, 2016 तक कुल-7 महीनों के लिए उपलब्ध करायी गयी है। उपलब्ध करायी गयी राशि का योजनावार विवरणी इस प्रकार है - पेंशनधारियों की संख्या अर्थात् लक्ष्मीबाई पेंशन योजना-737, बिहार निःशक्तता पेंशन योजना-889, राज्य सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजना-1913, इंदिरा गांधी राष्ट्रीय वृद्धावस्था पेंशन-35767, इंदिरा गांधी राष्ट्रीय विधवा पेंशन योजना-7327 एवं इंदिरा गांधी राष्ट्रीय निःशक्तता पेंशन योजना-5498 अर्थात् कुल-52,131 है।

उपलब्ध कराये गये पेंशनधारियों की संख्या प्रखण्डवार यथा- मधेपुरा (नगर परिषद् सहित)-7716, घैलाढ़-3430, गम्हरिया-3002, सिंहेश्वर-4106, शंकरपुर-2263, कुमारखण्ड-3776, मुरलीगंज (नगर पंचायत सहित)-3704, उदाकिशुनगंज-5622, बिहारीगंज-3216, ग्वालपाड़ा-4135, पुरैनी-2180, चौसा-5129, आलमनगर-3852 अर्थात् कुल-52,131 है।

सभी प्रखण्ड विकास पदाधिकारी /कार्यपालक पदाधिकारी, नगर परिषद्, मधेपुरा /नगर पंचायत, मुरलीगंज को जिलाधिकारी महोदय द्वारा निदेश दिया गया कि अस्वीकृत पेंशनधारियों की सूची पर यथाशीघ्र अद्यतन कार्रवाई करें अर्थात् पेंशनधारियों का खाता संग्रहण कर यथाशीघ्र ई-लाभार्थी के तहत ऑनलाईन इन्ट्री करायें, जिन पेंशनधारियों का खाता नम्बर नहीं है, उनका खाता खुलवाना सुनिश्चित करें, गलत खाता संख्या को यथाशीघ्र सुधार करवायें तथा शीघ्र ही इन्हें ई-लाभार्थी के तहत ऑनलाईन इन्ट्री कराते हुए खाता को लॉक करें, ताकि बचे हुए पेंशनधारियों के खाता में भी शीघ्र राशि भेजा जा सके।

इसे सर्वोच्च प्राथमिकता दी जाए।

ह0/-

सहायक निदेशक

सामाजिक सुरक्षा कोषांग, मधेपुरा।

ज्ञापांक 330-2/सा0सु0को0, मधेपुरा, दिनांक 25.11.16.

प्रतिलिपि : आई0टी0 मैनेजर, मधेपुरा को सूचनार्थ एवं सभी संबंधितों को ई-मेल करने हेतु प्रेषित।

प्रतिलिपि : जिला सूचना विज्ञान अधिकारी, मधेपुरा को सूचनार्थ एवं जिले के वेबसाईट पर अपलोड करने हेतु प्रेषित।

प्रतिलिपि : जिला जनसम्पर्क पदाधिकारी, मधेपुरा को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

प्रतिलिपि : अनुमण्डल पदाधिकारी, मधेपुरा /उदाकिशुनगंज /सभी प्रखण्ड विकास पदाधिकारी /कार्यपालक पदाधिकारी, नगर परिषद्, मधेपुरा /नगर पंचायत, मुरलीगंज को सूचनार्थ प्रेषित।

प्रतिलिपि : जिलाधिकारी, मधेपुरा को सादर सूचनार्थ समर्पित।

सहायक निदेशक

सामाजिक सुरक्षा कोषांग, मधेपुरा।